राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–1)

कमांक : एफ 1(18) वियो/ग्रुप–1/98पार्ट–II/ जयपुर, दिनांक 03 MAY 2018

आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में विभिन्न श्रेणी के पदो की अवधि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.05.2017 के द्वारा दिनांक 28.02.2018 तक बढाई गई थी, के कम में संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुसार वर्णित 915 पदों की अवधि दिनांक 28.02.2019 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त अवधि में डीआरडीए–प्रशासन मद में अनुमत प्रशासन व्यय की सीमा तक व्यय करना सुनिश्चित करें।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष में निम्न बजट मद से प्रभार्य होगाः–

मांग सं. 28–2515–00–196–05–01–12(संवेतन)
मांग सं. 28–2515–00–196–05–01–92(संवेतन)
मांग सं. 30–2515–00–196–05–02–12(संवेतन)
मांग सं. 30–2515–00–196–05–02–92(संवेतन)
मांग सं. 51–2515–00–196–05–03–12(संवेतन)
मांग सं. 51–2515–00–196–05–03–92(संवेतन)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 331800314 दिनांक 27.04.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(सीमा सिंह)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज., विभाग, राज., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज., विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जनपथ,जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया स्वीकृत पदों के अनुसार लेखा संवर्ग के कार्मिकों का पदस्थापन जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) में कराये जाने का श्रम करावें ।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–5)विभाग/वित्त बजट/आयोजना विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि स्वीकृत पदों के अनुसार लेखा संवर्ग के कार्मिकों का पदस्थापन जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) में कराये जाने का श्रम करावें ।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास जयपुर।
10. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज. जयपुर ।
11. संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर ।
12. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र),राजस्थान, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
15. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

P.T.O.